सं. एनएस-एमआईएससी0ओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

दिनांक: 17.02.2025

<u>2025 की एड्वाइजरी संख्या 1</u>

विषय: डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन (सर्कुलेशन वेरिफिकेशन) संबंधी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में

एड्वाइजरी संख्या 32 के अनुसार, डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन के लिए प्रकाशकों से आधिकारिक ईमेल के माध्यम से एक निर्दिष्ट आईडी पर आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 है।

सीवी के लिए दस्तावेज तैयार करने और संकलित करने में कठिनाई के संबंध में कुछ प्रकाशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, सीवी आवेदन फ़ाइल करने की तिथि को 20 फरवरी 2025 से आगे बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

किन्तु, यह छूट केवल उन प्रकाशनों को दी जा रही है जिनके प्रसार सत्यापन प्रमाणपत्र की वैधता आवेदन की तारीख से 3 महीने के भीतर समाप्त हो रही हो।

उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रकाशक 15 मार्च 2025 को सीवी के लिए आवेदन करता है, तो उसका आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसका मौजूदा सीवी प्रमाणपत्र 15 जून, 2025 को या उससे पहले समाप्त हो रहा हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रेस सेवा पोर्टल पर डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन सुविधा के लाइव और कार्यात्मक होने के बाद आधिकारिक ईमेल पर कोई नया सीवी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)

उप प्रेस महापंजीयक

भारत के प्रेस महापंजीयक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते